कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर–15)
(राजस्व–द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक : एफ–6( ) उपा.राज.–द्वितीय(सा.प्र.) / ननिज. / 2023 / 231 दिनांकः– 2/8/2023

सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड संख्या ई–239, अम्बाबाडी, जयपुर का नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा श्रीमती चाँद देवी के नाम से क्षेत्रफल 200 वर्गगज भूमि का आवंटन / नीलाम किया गया था। दिनांक 24.10.2007 को श्रीमती चॉद देवी पत्नी श्री बनवारी लाल केयर ऑफ मैसर्स सैनी आयरन फाउन्ड्री द्वारा भूखण्ड संख्या ई–239, अम्बाबाडी, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज (167.22 वर्गमीटर) श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री शिव कुमार सैनी को बेचान किया गया। दिनांक 13.06.2023 को श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री शिव कुमार सैनी द्वारा भूखण्ड संख्या ई–239, अम्बाबाडी, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज (167.22 वर्गमीटर) श्रीमतीं कुसुम चौधरी पत्नी श्री माल चन्द चौघरी को बेचान किया गया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा श्रीमती कुसुम चौधरी पत्नी श्री माल चन्द चौधरी के पक्ष में क्षेत्रफल 200 वर्गगज का पट्टा जारी किया जाना है। इस पट्टा जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरंकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व–द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

–sd–
उपायुक्त (राजस्व–द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर,
जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।
श्रीमती कुसुम चौधरी पत्नी श्री माल चन्द चौधरी, पता– 651–652, मोहक रेजीडेन्सी, स्कीम 4–सी, लोहा मण्डी रोड़, माचेडा, हरमाडा, जयपुर को भेजकर लेख है कि आप अपने खर्चे से सार्वजनिक सूचना 3'X3' इंच साईज एवं दृष्टान्त फोन्ट साईज में आमजन में प्रचलित राज्य स्तरीय समाचार–पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार–पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का श्रम करें।

उपायुक्त (राजस्व–द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर,
जयपुर